न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम अमराराम पुत्र किशनाराम कुम्हार भंवरपुरा वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 152/2022 **GCMS No.2022/307**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18/10/2022	अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बोदूराम चौधरी के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भंवरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर के खसरा नम्बर 554 रकबा 2.29 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आर रही है जिसमे से 0.47हैक्टर को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 01.09.2022 को एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरान की भूमि को लेकर एक वाद पत्र 15/2022 श्रवण बनाम मैना वगैरह भंवरपुरा में माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, जिसमें तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री पालना होकर प्राप्त हो चुकी है, जिसका अंतिम रूप से निर्णय होना शेष है तथा मौके पर संबंधित खातेदार द्वारा केवल सुरक्षा की दृष्टि से चार दिवार की गई है तथा अन्य किसी भी रूप में अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि प्रयोग में नही ली गई है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि से संबंधित राजस्व वाद सं' 15/2022 श्रवण बनाम मैना वगैरह इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्राथमिक डिक्री जारी होकर प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त हो चुकी है, पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया जाना शेष है तथा डिक्री आदेश जारी करने पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही सम्भव नही है, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार न्याय हित में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। साथ ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोग में नही लिये जाने के कथन अंकित किये है, केवल मात्र सुरक्षा की दृष्टि से चारदिवाी की गई है, अतः प्रथम दृष्टया मामला सुवधिा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 01.09.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)